

06.04.17

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी बेताल अनुपस्थित अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर ने अनुपस्थित आरोपी का आवेदन अंतर्गत धारा 317 दफ़्तर का पेश किया। आवेदन में दर्शित कारण स्वीकार कर आरोपी की उप० अधिवक्ता द्वारा मान्य की जाती है।

प्रकरण कमिटल तर्क हेतु नियत है। कमिटल तर्क श्रवण किये गये।

आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा अपराध क्र 192/16 अंतर्गत धारा 435, 436 भा.द.स. के अधीन अभियोग पत्र आरोपी बेताल पुत्र अयोध्याप्रसाद जाटव उम्र 47 वर्ष निवासी समता नगर मालनपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 435, 436 भा.द.स. के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान हैं जिसमें से धारा 435, 436 भा.द.वि. अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः धारा 209 द.प्र.सं के अधीन प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड में उपार्पित किया जाता है।

धारा 207 द.प्र.सं का पालन किया जा चुका है।

प्रकरण में आरोपी जमानत पर हैं। अतः आरोपी को निर्देशित किया गया कि आरोपी दिनांक **27.04.2017** को न्यायालय श्री मोहम्मद अजहर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

उपार्पण की सूचना नायब नाजिर मालखाना गोहद, जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड एवं थाना प्रभारी मालनपुर को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित किया जावे।

सही/—

(गोपेश गर्ग)

जे.एम.एफ.सी., गोहद

जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)